FORM NO-III CXCMS-2025/45 No

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ़, जिला–अजमेर

काना बनाम आसी

किस्म मुकदमा– धारा 151 सी0पी0सी नम्बर– 33 वर्षः–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2025	यह प्रार्थना पत्र पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा– 151 सी0पी0सी0 के तहत पेश किया । वकील प्रार्थी की निर्णय की कियान्विती पर रोक बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी की पक्ष में प्रतीत होता है। अतः मूल प्रकरण 17/2024 उनवान काना बनाम आसी में पारित निर्णय में आगामी तारीख पेशी तक निर्णय की कियान्विती पर रोक लगाने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18-7-25 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
24-6-25	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते राजस्व प्रार्थना-पत्र को विड्रा करने बाबत् पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को सुना गया। चूंकि मूल प्रार्थना-पत्र (0.21.R.97) को विड्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested